

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/कोर्ट केश-11-27/2012...../ राँची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंताओं की सूची।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	आदेश का प्रसंग	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्यु.
1	2	3		4	5	6
1	श्री गंगेश्वर मिश्र 09.01.54/जे 5039/ धनबाद नगर निगम, धनबाद	06.02.79	234 / 11.11.06	09.08.99	06.02.03	

2. इन कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

6547

राँची, दिनांक :-

4-11-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/सम्पुष्टि-06-68/2013..... / रॉची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबन्धिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री परमानन्द जे 5414/25.03.51/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो	03.02.79	03.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, रॉची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो को श्री परमानन्द, कनीय अभियंता का सेवापुस्त (मूल) दो भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6568 रॉची, दिनांक :- 6-11-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु.-यथोक्त।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-61/2013...../ रॉची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंताओं की सूची।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ नियुक्ति तिथि	नियुक्ति की तिथि	आदेश का प्रसंग	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000- 15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3		4	5	6
1	श्री कृष्ण कुमार राय जे 5468/ 01.01.54/ खरकई लिंक नहर प्रमंडल, मुसाबनी	05.02.79	234/ 11.11.06	09.08.99	05.02.03	

2. इन कनीय अभियंताओं के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, ईचा गालूडीह/ अधीक्षण अभियंता, खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर/ कार्यपालक अभियंता, खरकई लिंक नहर प्रमंडल को श्री कृष्ण कुमार राय, सहायक अभियंता (चालू प्रभार), लघु सिंचाई अनुमंडल, सरायकेला (लघु सिंचाई प्रमंडल, सरायकेला) का सेवापुस्त मूल जिल्द के साथ/ संबंधित सहायक अभियंता(चालू प्रभार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :- 6576 रॉची, दिनांक :- 6-11-13

प्रतिलिपि:-बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-65/2013...../ राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबन्धिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /वरीयता/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अभय कुमार सिंह जे 5714/05.04.55/ समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं.-02, देवघर	05.02.79	05.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/ अधीक्षण अभियन्ता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल सं.-02, देवघर/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6578 राँची, दिनांक :- 6-11-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्तम्भ-04 में अंकित विभागीय आदेश द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-2 में अंकित कनीय अभियंताओं को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं स्तम्भ-6 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 5400/- तथा 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 7600/-को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम/आई० डी० कोड /कार्यालय का नाम	नियुक्ति तिथि	स्वीकृति संबंधी आदेश का प्रसंग	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकृत द्वितीय संशोधित वित्तीय उन्नयन (पी०बी०-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु० 5400/- देय तिथि	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकृत तृतीय संशोधित वित्तीय उन्नयन (पी०बी०-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु० 7600/- देय तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुधांशु शेखर आखुली/ जे० 8421/ सुवर्णरेखा बौध प्रमण्डल, घाटशिला	25.04.88	3833/ 1.08.12	1.09.08	
2	श्री विश्वनाथ प्रसाद/ जे० 8060/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग।	11.03.87	264/ 27.01.12	1.09.08	
3	श्री मनोज कुमार सिंह/ जे० 8116/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो।	23.03.87	6675/ 23.11.12	1.09.08	
4	श्री रामावतार ठाकुर राकेश/ जे० 6710/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो।	05.03.79	6674/ 23.11.12		05.03.09
5	श्री सुभाष प्रसाद सिंह/ जे० 5500/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो।	02.02.79	6674/ 23.11.12		02.02.09
6	श्री कृपानंद कुमार सिंह/ जे० 5513/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर।	31.01.79	6674/ 23.11.12		31.01.09
7	श्री श्यामनंदन प्रसाद/ जे० 5563/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिमडेगा।	05.02.79	6674/ 23.11.12		05.02.09
8	श्री रंगबहादुर सिंह/ जे० 5514/ गालुडीह दायीं नहर प्रमण्डल संख्या-1, मुसाबनी, शिविर- गालुडीह	31.01.79	262/ 27.01.12		31.01.09

9	श्री राजेश्वर प्रसाद / जे0 5120 / लघु वितरणी प्रमण्डल संख्या-2, चाण्डिल, डिमना, जमशेदपुर।	07.02.79	262 / 27.01.12		07.02.09
10	श्री गोपाल प्रसाद / जे0 4576 / लघु सिंचाई गुण नियंत्रण प्रमण्डल, राँची।	09.02.79	2886 / 19.10.11		09.02.09
11	श्री यादव जगनारायण सिंह / जे0 7196 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, राँची।	20.03.79	262 / 27.01.12		20.03.09
12	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव / जे0 5892 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, राँची।	05.02.79	262 / 27.01.12		05.02.09
13	श्री नरेन्द्र कुमार पाठक / जे0 5622 / ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, राँची।	02.02.79	6674 / 23.11.12		02.02.09

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. सम्पुष्टि प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष परिक्षेत्र, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/मुख्य अभियंता, ईचा-गालुडीह/मुख्य अभियंता, चाण्डिल/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

7-11-13